

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महाशय्यक प्रसाद माथक, RAS

करण संख्या 11 / 2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

भोली का० उदाकाली बि० गिरिडिया

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

कालु डा० कल्याण श्वरोल कौर बि० गिरिडिया

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री राजेश वर्मा

कमिश्नर प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 29-5-19

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम गिरिडिया तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.44 ई.

273 रकबा 0.12 ई., 458 रकबा 0.54 ई., 459 रकबा 0.25 ई.  
462 रकबा 0.30 ई., 1679/383 रकबा 0.06 ई., 1680/402 रकबा 0.10 ई.

कुल किता 7 रकबा 1.81 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार कार्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभावक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम गिरिडिया संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गिरिडिया में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 7 रकबा 1.81 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 400/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौजा पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29-5-19 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
आर०ए०एस०  
महायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
महायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)